रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935

No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

सं. एल.-1(3)/2009-के.वि.वि.आ.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अतंर–राज्यिक पारेषण एवं सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रांरभ** : (1) इन विनियमों का सक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अतंर–राज्यिक पारेषण एवं सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना)(तीसरा संशोधन)विनियम, 2013 है;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **विनियम 2 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 2 के खंड 1 के उपखंड ख (i) (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(ङ) इस खंड के उपखंड (ख)(i) (क) से (ग) में निर्दिष्ट विवरण के विद्यमान उत्पादन केंद्र में उत्पादन कंपनी द्वारा विकसित 5 एम डब्ल्यू क्षमता और उससे अधिक लेकिन 50 एम डब्ल्यू क्षमता से कम के किसी नवीकरणीय उत्पादन केंद्र और अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ विद्यमान कनेक्शन प्वाइंट पर उत्पादन प्रणाली की विद्युत प्रणाली के माध्यम से संयोजकता की मांग करना।"

2. **विनियम 8 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (1) में दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित पंरतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः

"परंतु यह और कि विनियम 2 (1)(ख)(i)(ङ) के अधीन परिभाषित आवेदक द्वारा आवेदन पर केवल सीटीयू द्वारा तब विचार किया जाएगा यदि विद्यमान उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र की विद्युत प्रणाली के माध्यम से संयोजकता की मांग करने वाले नवीकरणीय उत्पादन केंद्र (केंद्रों) की ओर से 'प्रधान उत्पादन' के रूप में कार्य करने के लिए सहमत है और भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा आयोग के सभी विनियमों जैसे ग्रिड सुरक्षा, अनुसूचीकरण एवं प्रेषण, पारेषण प्रभारों, यू आई प्रभारों, संयोजन तथा अन्य प्रभारों, आदि की वसूली और भुगतान/समायोजन के उपबंधों के अनुपालन में नवीकरणीय उत्पादन केंद्र के लिए सभी परिचलनात्मक एवं वाणिज्यिक उत्तरदायित्वों के लिए लिखित करार/व्यवस्था करता है और उस संबंधित आरएलडीसी, जिसके नियत्रंण क्षेत्र में यह स्थित है, को प्रति सहित संयोजकता के आवेदन सहित सीटीयू को करार की प्रति प्रस्तुत करता है।"

राजीव बंसल, सचिव

[सं. विज्ञापन III/4/असाधारण/150/12]

टिप्पण :- मूल विनियमों को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 140 में तारीख 10.8.2009 को प्रकाशित किया गया था और मूल विनियमों के प्रथम संशोधन को तारीख 7.9.2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 225 में अधिसूचित किया गया था और मूल विनियमों के दूसरे संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम सं. 72 में तारीख 22.3.2012 को अधिसूचित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March , 2013

No. L-1(3)/2009-CERC.— In exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publications, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. **Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) (Third Amendment) Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2:- The following provisions shall be added after sub-clause (b) (i)(d) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, namely :

> "(e) Any renewable energy generating station of 5 MW capacity and above but less than 50 MW capacity developed by a generating company in its existing generating station of the description referred to in sub-clauses (b)(i)(a) to (c) of this clause and seeking connectivity to the existing connection point with inter-State Transmission System through the electrical system of the generating station ."

2. Amendment to Regulation 8:- The following proviso shall be added after second proviso to Clause (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations, namely:

"Provided further that the application by the applicant defined under Regulation 2(1) (b)(i) (e) shall be considered by CTU only if the existing generating station agrees to act as the "Principal Generator" on behalf of the renewable energy generating station(s) seeking connectivity through the electrical system of the generating station and formalizes a written agreement/arrangement among them to undertake all operational and commercial responsibilities for the renewable energy generating station(s) in following the provisions of the Indian Electricity Grid Code and all other regulations of the Commission, such as grid security, scheduling and dispatch, collection and payment/adjustment of Transmission charges, UI charges, congestion and other charges etc., and submit a copy of the agreement to the CTU, alongwith the application for connectivity, with copy to the respective RLDC in whose control area it is located."

RAJIV BANSAL, Secy.

[No. ADVT. III/4/Exty./150/12]

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 of Ser.No.140 dated 10.8.2009 and the first amendment to the principal regulations was notified in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 at Ser. No.225 dated 7.9.2010 and the second amendment to the principal regulations was notified in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 at Ser. No.72 dated 22.3.2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.